गद्यपदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक २7 / **06.2017**

क्र. एफ 16/03/2016/ए-ग्यारह:: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स आर.सांई फूड प्रा.लि. द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में रू. 53.05 करोड़ के पूंजी निवेश से औद्योगिक क्षेत्र घिरोंगी-मालनपुर, जिला भिण्ड में साल्वेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट, रोलर फ्लोर मिल एवं मसाला निर्माण इकाई को निम्नानुसार सुविधाएं दी जावें:-

1. **उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के अनुक्रम में वृहद श्रेणी की खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायताएं अंतर्गत -**

   (i) **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** पात्र इकाई द्वारा इनपुट टेक्स रिबेट के समायोजन के पश्चात वैट और केन्द्रीय विक्रय कर के रूप में जमा की गई राशि का शत प्रतिशत सहायता के रूप में इकाई को 10 वर्षों हेतु। सहायता की अधिकतम सीमा इकाई द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश की राशि के 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

   (ii) **प्रवेश कर से छूट-** प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 7 वर्षो हेतु ।

   (iii) **मण्डी शुल्क से छूट-** संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत या 5 वर्ष हेतु (इनमें से जो भी कम हो) मण्डी शुल्क से छूट।

   (iv) **विद्युत शुल्क पर छूट-** ऊर्जा विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.03.2014 में प्रावधान अनुसार शर्तो के अध्याधीन।

   (v) उद्योग नीति, 2014 अंतर्गत अन्य सभी सुविधाएं प्रचलित नियमों के अनुसार दी जावे।

2. **अन्य सुविधाएं-**

   (i) **विद्युत टेरिफ में रियायत-** मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु जारी विद्युत टेरिफ आदेश दिनांक **01**.04.2017 अनुसार रूपये 1 प्रति यूनिट अथवा एनर्जी चार्जेस में 20 प्रतिशत की छूट, जो भी कम हो, शर्तो के अध्याधीन दी जावे एवं इसके अतिरिक्त विद्युत टैरिफ पर और छूट देय नहीं होगी।

3. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जावे।

निरंतर ....

4. कम्पनी की परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का विशेष पैकेज का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष में परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग
भोपाल, दिनांक २७ 06.201

पृ.क्रमांक एफ 16/03/2016/ए-ग्यारह

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/उद्यानिकी एवं खाद्य **प्रसंस्करण** विभाग/किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग/ मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
4. आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना।
5. कलेक्टर, जिला भिण्ड।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि., ग्वालियर।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स आर.सांई फूड प्रा.लि., 34, तोमर बिल्डिंग, गांधी रोड़, थाटीपुर, मुरार, ग्वालियर।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग